EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 21ST MAY, 2021

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 21 मई, 2021

संख्या 14/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 के साथ पठित धारा 50 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 45/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 45/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017, में, तृतीय पैरा में, सारणी (2) में, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)
''3.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तिथि से प्रथम पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021
4.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तिथि से प्रथम पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021
5.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के	नियत तिथि से प्रथम पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद	मार्च 2021, अप्रैल 2021

	परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	
6.	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तिथि से प्रथम पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	तिमाही जो मार्च 2021 को समाप्त हो रही है ।"।

2. यह अधिसूचना 18 अप्रैल, 2021 से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 21ST MAY, 2021

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 21st May, 2021

No.14/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.45/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.45/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the third paragraph, in the Table (2), after serial number 2, the following shall be inserted, namely: –

(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	9 per cent for the first 15 days from the due date and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
4.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
5.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 percent thereafter	March, 2021, April, 2021
6.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	Quarter ending March, 2021.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of April, 2021.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.